334/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
07.10.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 से 6 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 07 अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 19.6.2023 पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील विप्रार्थी ने निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी का चलने योग्य नहीं है, क्योंकि विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी की सह-खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए बंटवारा का दावा लागू होता है इस कारण प्रार्थी का आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जावें। इसके विपरीत वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि विप्रार्थी पक्ष द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थी का वांछित अनुतोष हस्तगत प्रकरण से ही प्राप्त हो सकता है। अतः विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। दोनों उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि विवादित आराजी प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में चाहा गया वांछित अनुतोष उक्त आवेदन-पत्र से प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि संयुक्त खातेदारी भूमि में बिना बंटवारा के तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण [illegible] है। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण [illegible] है, लेकिन प्रार्थी बंटवारा का [illegible] लिए स्वतंत्र रहेगा। उपरोक्त विवेचन के उपरान्त विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का आवेदन-पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा